

(विक्रय पत्र)

सब रजिस्ट्रार

भारत की अण्ड

4168

फोटो प्रमाणितकर्ता:-

उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ

- प्रतिफल की धनराशि
कानूनी मालियत 1470000/- स्टाम्प शुल्क अंकन
1. भूमि का प्रकार 1470000/- 92900/-
2. वार्ड परगना आवासीय प्लॉट
..... पंचायत प.त.पञ्जिला सहारनपुर अन्दरन सनसिटी कालोनी
..... सहारनपुर सड़क से 100 मीटर से अधिक दूर रेट 4500/-रु. प्रतिवर्ग मी.
कोड 0200 पर दर्ज है। निर्माण नहीं बना है। स्टाम्प इसके अधिक
पर दिया है। मय वाउडरी वाल।
3. सम्पत्ति का विवरण आवासीयप्लॉट नं. 69 का भाग डा. नं. 95 मि.
.....
4. सम्पत्ति का क्षेत्र
5. सड़क की स्थिति 221.58 वर्ग गज यानि 185.26 वर्ग मी.
6. सम्पत्ति का प्रकार सड़क से 100 मीटर से अधिक दूर
7. सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल (बहुमजिला भवन की स्थिति में).....
.....
8. कुल निर्मित क्षेत्रफल
9. स्थिति-फिनिशड/सेमीफिनिशड
10. पेड़ों का मूल्यांकन
.....
11. बोरिंग/कुआ/अन्य
12. निर्माण का वर्ष x
13. प्रतिफल की धनराशि

1470000/-

सीमायें

पुर्व में रास्ता 9 मीटर चौडा

पश्चिम में प्लॉट नं. 50

उत्तर में वाउडरी वाल कालोनी

दक्षिण प्लॉट नं. 69 का भाग प प्लॉट नं. 68

संजय शर्मा



[Handwritten signature]

प्रथम पक्ष की संख्या-() विक्रेता

द्वितीय पक्ष की संख्या-() क्रेता

1. विक्रेता- विवेक कंसल पुत्रश्री सुभाषाचन्द्र कंसल निवासी मोहल्ला मंगलसरपा
वाजार गंगोह जिता सहारनपुर।

जोकि जायदाद निम्नलिखित विक्रेता प्रथम पक्ष की स्वामित्व व अधिकृत स्वयं है। जो हर तरह से पाक साफ है, कहीं पर बन्धक, बय या रहन नहीं है, ना किसी वाद में विवादित है, ना कोई ऋण किसी सरकारी या गैर सरकारी बैंक या संस्था से ले रखा है। गरजे कि हर तरह से पाक साफ है। अतः मैने स्वेच्छा से बिना किसी जबर दबाव या बहकावट के जायदाद जैल

बिल एवज मुबलिंग

आधे जिसके

बदस्त

1470000/- पाँच लाख सत्तर हजार रु.

735000/- रुपये



होते है



क्रेता- डा. विदुषी सिंह पुत्री श्री ओमप्रकाश सहवांके

निवासी पुरानी मण्डीसहारनपुर।

के बय कतई और फरोख्त कामिल कर दी गई है तथा कब्जा दखल मालकाना व वाकई हर तरह का जायदाद जैल से हटाकर उस पर अपने सामान विक्रेता को करा दिया है। आज से जायदाद निम्नलिखित में मेरा या मेरे किसी कायम मुकामान वारिसान का कोई ताल्लुक या वास्ता बाकी नहीं रहा है न आइन्दा को होगा। क्रेता को अधिकार है कि वह जायदाद निम्नलिखित को जिस प्रकार से चाहे अपने इस्तेमाल में लाये, निर्माण करे, कागजात माल में अपने नाम का इन्द्राज कराये, विक्रय करे, बंधक करे या चाहे सो करे, कुछ आपत्ति नहीं होगी। यदि जायदाद निम्नलिखित किसी कारण से कुल या जुज्व कब्जे दखल क्रेता से निकल जाये तो उसमें कोई हरज या खलल किसी तरह का उत्पन्न होवे तो ऐसी दशा में क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपना कुल विक्रय धन विक्रेता से व उसकी जात खात नीज दीगर सम्पत्ति मनकूला व गैर मनकूला डाल व पैदा कर्दा आयंदा से जिस तौर पर चाहे मय हरजा व खरचा मय सुद जास्ता वसूल कर ले कुछ आपत्ति नहीं होगी। कुल विक्रय धन:-

मे से 70000/- रु. पेशागी वसूल पातलये ह व 1400000 - रु. डाफ्ट न.
284630 दिनांक 2.6.12 एस.बी.आई. आर.ए.एस.एम.इ.सी.सी.ई.
सहारनपुर प्राप्त किया कुल 1470000/-

भारतीय न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 20,000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs. 20000



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



A 031405



भारत भारत

एच.ए.ओ., सिविल कोर्ट
अहमदाबाद

3

पिकीत संघित आवासीय प्रयोजन हेतु

बय की गयी है।



एडवोकेट

एच.ए.ओ.-6, सिविल कोर्ट
अहमदाबाद

N. K. G. S. D.



Raw

भारतीय न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs. 20000



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



A 031404

4

कोई सुविधा सरकारी कार्यालय आदि नहीं है।

M. K. Rawat

Rawat

भारतीय न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs. 20000



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



A 031403

5

कोई इकरारनामा माहदा घय

नही किया है।

Nilkanth



[Signature]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश
विधान सभा

₹. 20,000

बीस हजार रुपये

भारत

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs. 20000



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 031402


6

जायदाद मुबइया द्वारा बयनामा इकरारी जसविन्दर सिंह

20.4.06 बहीनं. 1 जिल्द 968 पेज 957/976 नम्बर 2182

V. K. Kaul

Jhaw



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



083454

7

सबरीज. सहारनपुर हुयीं डारीद की है। जो हर तरह सेपाक

N. C. 19/12/12

Chaw

